

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुखसं/

6637

दिनांक 05-07-23

विशेषाधिकारी,

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan . (Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:-भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 8-14/2021-F(Vol.) दिनांक 24.08.2022

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गई सूचना मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के पत्रांक 3014 दिनांक 30.06.2023 से प्राप्त हुई है, जो कि निम्नानुसार है:-

S.No.	Observations	Compliance
1	The proposal has now been revised from 248.5515 ha. to 189.2515 ha. excluding the total forest area of 59.30 ha area i.e. 15.30 ha forest land which falling in the Eco- Sensitive Zone of Bandh-Baretha WLS and 44 ha lease area due to some stay order. However, the details of the court case and the copy of the Stay Order have not been provided. A detailed report in this regard shall be submitted.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पाषाण उत्पादक सहकारी समिति (याचिकाकर्ता) के खनन पट्टा अंतर्गत 44 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 8028/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2004 से स्थगन (status quo) जारी किया गया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 को सुना गया जिसमें आगामी तिथि 10.03.2022 नियत की। वर्तमान में स्थगन प्रभावी है। सूचना पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 56 पर उपलब्ध है।
2	The State Government shall also inform whether the area of 44 ha. deleted from the diversion proposal due to stay order is required for non-forestry use by the user agency in future. KML file for the areas of 15.30 ha and 44 ha. proposed to be deleted from the original diversion proposal shall also be furnished.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्रानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 0028/2004 का निस्तारण होने के उपरान्त 44 हैक्टर वन क्षेत्र के डायवर्जन की कार्यवाही यूजर एजेंसी द्वारा की जावेगी।
3	Additional Compensatory Afforestation (CA) sites have now been proposed and the CA area earlier proposed on DFL have been deleted. The CA Scheme uploaded on PARIVESH portal	The sites proposed for the CA are not a part of Land Bank. The legal status of the land proposed for the CA is Protected Forest(5094.33Ha) and it was declared by the notification Pa.2(3) Van/2008 dated 13.11.2009 and Pa.2(30) Van/2008 dated

	mentions that the area now proposed for Compensatory Afforestation (CA) are not a part of any land bank. Whereas, it has been mentioned by the DCF in his SIR that the CA area proposed is part of the area handed over to forest department for future diversion proposals. The State Govt shall therefore clearly specify the legal status of the areas proposed for Compensatory Afforestation. In case, CA area is a part of some land bank, the detail of the proposal wise area utilized for CA so far and the balance area shall also be provided.	13.11.2009. The background of this land was allotted by Government order dated on 08.02.2008 and this order mentioned that the land is given in lieu of future forest land diversion cases. The same land was declared as Protected Forest in the vide notification dated 13.11.2009. Copies of the Government allotment order and Notification are annexed. It is also to be considered the same part of the land (398 Ha) was already approved for CA works in an another diversion case FP/RJ/MIN/125714/2021 approved under FCA on 22.03.2021. Hence, it is recommended that the remaining area of the forest land in the similar manner for the CA may be considered in the in this diversion case.
4	The detailed CA scheme along with the site suitability certificate for CA land has not been provided. In this regard the CA scheme duly giving the details of number of patches, patch wise area, legal status of the land with documentary evidence and other requisite details along with site suitability certificate is required to be submitted.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पार्ट-1 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 4 भागों दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 4 अलग-2 नक्शे (DGPS), 4 अलग-2 Patchwise CA Scheme GT sheet पर, marked नक्शों संलग्न है एवं सी0ए0 स्कीम का सम्पूर्ण विवरण पार्ट II में संलग्न है।
5	Some non-forestry activities like Mining have been observed in the proposed CA patches, which needs clarification.	As per CCF Bharatpur letter dated 28-06-2023 Previously these Revenue Land were under the control of Revenue Department and affected by mining activities in the past and Government decided to stop the mining activities and transferred to Forest Department and the mining activities are stopped and the proposed area is not having any mining activities as mentioned in Ranger Kaman and Ranger Bharatpur report. Details are enclosed in additional information at point no 18 of part II
6	The State shall ensure that the areas proposed for Compensatory Afforestation are free from all encumbrances and a certificate to this effect shall be submitted.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्रानुसार उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Land suitability certificate) पार्ट II में संलग्न कर दिया गया है।
7	Based on the observation vide point (iv) in Ministry's letter of even no. dated 24.08.2022, the State Govt. has now uploaded the KML file of Safety zone on PARIVESH portal and analysis of the same through GIS-DSS tool revealed that the safety zone has not been proposed all around the Mining lease. This needs clarification.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेफ्टी जोन को अलग अलग रंग में मार्क कर नवीनतम नक्शा पार्ट I के बिन्दु संख्या सी पर अपलोड कर दिया गया है।

8	It is observed in the revised Mining plan that the non-site specific activities like Top soil Dump (4.0 ha.), Dumps (7.50 ha.), Infrastructure (2.50 ha.) are proposed to be carried out in forest land. The State shall explore and carry out the non-site specific activities on non-forest land.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार वन क्षेत्र का डायवर्जन होने के उपरान्त delineation की कार्यवाही कर E-Auction किया जावेगा। प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में Site Specific and Non Site Specific activities को पृथक से माईनिंग प्लान अनुमोदन कराया जायेगा। (Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
9	In addition, 3.3049 ha. forest area in the mining plan is shown as area not to be utilized. in case the area is not to be utilized, there seems to be no justification for including the same in diversion proposal.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को utilized कर संसोधित किया गया। (Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
10	30 ha forest land has been designated for Green Belt in the mining plan. However its location within the mining lease is not provided. Moreover, the purpose-wise and component-wise Geo-reference/KML file including proposed Green Belt is not submitted. Therefore, the component-wise layout of the area proposed for diversion along with the KML file shall be uploaded on PARIVESH Portal.	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में 2.7255 हैक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारी द्वारा लीज अवधि में लगभग 11.00 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। खनन पट्टों का ऑनलाईन ऑक्शन किये जाने के पश्चात वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र चिन्हित होने के उपरान्त के0एम0एल0 फाईल प्रस्तुत करवाई जा सकेगी। (Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)

अतः उपर्युक्तानुसार प्राप्त सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 16(Mining)2021 / एफसीए / प्रमुवसं /
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) सतर्कता, पर्यावरण एवं विकास, नोडल अधिकारी वन मामलात, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. श्री राममंगल, खनि अभियंता, भरतपुर।

दिनांक

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

दिनांक 30.06.23

क्रमांक एफ () 2021-22/एफसीए/मुवसभ/3014
निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. of Forest land in favour of DMG, Rajasthan in Block A and B Paharpur Tehsil - Roopwas, Dist. Bharatpur for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. Online Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021

संदर्भ- आपका ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 22.06.2023 एवं उप वन संरक्षक का पत्र क्रमांक 8174 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 22.06.2023 के क्रम में उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा बिन्दुवार निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है:-

S.No.	Observations	Compliance
1.	बिन्दु 1 के क्रम में 44 हैक्टर वन क्षेत्र हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन केस की अद्यतन विस्तृत जानकारी मय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पाषाण उत्पादक सहकारी समिति (याचिकाकर्ता) के खनन पट्टा अंतर्गत 44 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 8028/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2004 (Annexure-1) से स्थगन (status quo) जारी किया गया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 (Annexure-2) को सुना गया जिसमें आगामी तिथि 10.03.2022 नियत की। वर्तमान में स्थगन प्रभावी है।
2.	उपर्युक्तानुसार 44 हैक्टर वन क्षेत्र को भविष्य में किस प्रकार प्रयोग में लाया जाना है। इसकी सूचना /तथ्यात्मक रिपोर्ट यूजर एजेन्सी द्वारा किया जाना है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर के संदर्भित पत्रानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 0028/2004 का निस्तारण होने के उपरान्त 44 हैक्टर वन क्षेत्र के डायवर्जन की कार्यवाही यूजर एजेन्सी द्वारा की जावेगी।
3.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की टिप्पणी उपयुक्त है।	The sites proposed for the CA are not a part of Land Bank. The legal status of the land proposed for the CA is Protected Forest(5094.33Ha) and it was declared by the notification Pa.2(3) Van/2008 dated 13.11.2009 and Pa.2(30) Van/2008 dated 13.11.2009. The background of this land was allotted by Government order dated on 08.02.2008 and this order mentioned that the land is given in lieu of future forest land diversion cases. The same land was declared as Protected Forest in the vide notification dated 13.11.2009. Copies of the Government allotment

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.06.30 17:32:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172303



		Compliance
S.No.	Observations	
		order and Notification are annexed. It is also to be considered the same part of the land (398 Ha) was already approved for CA works in an another diversion case FP/RJ/MIN/125714/2021 approved under FCA on 22.03.2021. Hence, it is recommended that the remaining area of the forest land in the similar manner for the CA may be considered in the in this diversion case.
4.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दो भागों में बताया है जबकि पार्ट-1 में इन्हें चार भागों में दर्शाया गया है। मुख्य वन संरक्षक तदनुसार अपनी टिप्पणी प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यों जैसे खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है ।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पार्ट-1 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 4 भागों दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 4 अलग-2 नक्शों (DGPS), 4 अलग-2 Patchwise CA Scheme GT sheet पर, marked नक्शों संलग्न है एवं सी0ए0 स्कीम का सम्पूर्ण विवरण संलग्न है। (Annexure-3 Page No:- From 1 to 52)
5	प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यों जैसे खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है ।	As per DCF Bharatpur letter dated 28-06-2023 Previously these Revenue Land were under the control of Revenue Department and affected by mining activities in the past and Government decided to stop the mining activities and transferred to Forest Department and the mining activities are stopped and the proposed area is not having any mining activities as mentioned in Ranger Kaman and Ranger Bharatpur report. Details are enclosed as (Annexure-4 Page No:- From 1 to 8)
6	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।	उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा इस संबंध में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Land suitability certificate) संलग्न कर दिया गया है। (Annexure-5)
7	प्रस्ताव में प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है। पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को अलग-अलग रंग में मार्क कर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करावें एवं नवीन नक्शा अपलोड प्रस्तुत करावें ।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को अलग अलग रंग में मार्क कर नवीनतम नक्शा अपलोड कर दिया गया है। (Annexure-6 page no 1 to 6)
8	परियोजना में Site Specific and Non & Site Specific activities को पृथक- पृथक दिखाया जावें एवं तदनुसार माईनिंग प्लान भी संशोधित करावें ।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार वन क्षेत्र का डायवर्जन होने के उपरान्त delineation की कार्यवाही कर E-Auction किया जावेगा। प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में Site Specific and Non Site Specific activities को पृथक से माईनिंग प्लान अनुमोदन कराया जायेगा। (Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
9	माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को not to be utilized किस योजना अनुसार किया जाना है। प्रोग्रेसिव माईनिंग प्लान दिया जावें।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को utilized कर संशोधित किया गया। (Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)
10	30 हेक्टर वन क्षेत्र को Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रखा गया है तदनुसार KML फाईल प्रस्तुत की जानी है।	उप वन संरक्षक भरतपुर के संदर्भित पत्र अनुसार माईनिंग प्लान में 2.7255 हेक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारी द्वारा लीज अवधि में लगभग 11.00 हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। खनन पट्टो का

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.06.30 17:32:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172303



S.No.	Observations	Compliance
		<p>ऑनलाईन ऑगशन किये जाने के पश्चात वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र चिह्नित होने के उपरान्त के0एम0एल0 फाईल प्रस्तुत करवाई जा सकेगी। (Annexure-7 Revised mining plan attached and mentioned in page no:- 32 of mining plan)</p>

अतः उपरान्त आक्षेप पूर्ण उपरान्त प्रस्ताव मय दो हाड प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहन राज)
 मुख्य वन संरक्षक,
 भरतपुर
 दिनांक

कमांक एफ () 2021-22/एफसीए/मुवसभ/
 प्रतिलिपी :-

1. उप वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक,
 भरतपुर

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
 Designation: Chief Conservator Of
 Forest
 Date: 2023.06.30 17:32:48 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4172303





कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

दिनांक : 28/6/23

क्रमांक: एफ.() FCA/उवसं/2023/ 8174
निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

विशय:- Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of OMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan- (Proposal No- FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:- कार्यालय सहायक अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर के पत्र क्रमांक स्पे0-1 दिनांक 27.06.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के कम में दिनांक 22.06.2023 को की गई बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना निम्नानुसार है:-

S.no.	विवरण	अनुपालना
1	विन्दु 1 के क्रम में 44 हेक्टर वन क्षेत्र हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन केस की अद्यतन विस्तृत जानकारी मय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।	यूजर एजेन्सी के अनुसार पाषाण उत्पादक सहकारी समिति (याचिकाकर्ता) के खनन पट्टा अंतर्गत 44 हेक्टर क्षेत्र आता है। याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 8028/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2004 (प्रति संलग्न) से स्थगन (status quo) जारी किया गया। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 (प्रति संलग्न) को सुना गया जिसमें आगामी तिथि 10.03.2022 नियत की। वर्तमान में स्थगन प्रभावी है। (Annexure-1)
2	उपर्युक्तानुसार 44 हेक्टर वन क्षेत्र को भविष्य में किस प्रकार प्रयोग में लाया जाना है। इसकी सूचना / तथ्यात्मक रिपोर्ट यूजर एजेन्सी द्वारा किया जाना है।	यूजर एजेन्सी के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर SBCWP No- 0028/2004 का निरस्तारण होने के उपरान्त 44 हेक्टर वन क्षेत्र के डायवर्जन की कार्यवाही जावेगी। (Annexure-1)
3	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की टिप्पणी उपयुक्त है।	The sites proposed for the CA are not a part of Land Bank. The legal status of the land proposed for the CA is Protected Forest(5094.33Ha) and it was declared by the notification Pa.2(3) Van/2008 dated 13.11.2009 and Pa.2(30) Van/2008 dated 13.11.2009. The background of this land was allotted by Government order dated on 08.02.2008 and this order mentioned that the land is given in lieu of future forest land diversion cases. The same land was declared as Protected Forest in the wide notification dated 13.11.2009. Copies of the Government allotment order and Notification are annexed. It is also to be considered the same part of the land (398 Ha) was already approved for CA works in an another diversion case FP/RJ/MIN/125714/2021 approved under FCA on 22.03.2021. The remaining area of the forest land in the same manner for the CA may be considered for diversion. Page No. 103371499240395.docx Designation: Deputy Conservator Of Forest

Signature valid

Digitally signed by Ravi Kumar Meena
Page No. 103371499240395.docx
Designation: Deputy Conservator Of Forest

Date: 2023.06.28 10:52:24 JST
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSSStore\DigiGOV\Intranet\4162300 588
RajKaj Ref No. : 4162300



4	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दो भागों में बताया है जबकि पार्ट-1 में इन्हें चार भागों में दर्शाया गया है। मुख्य वन संरक्षक तदनुसार अपनी टिप्पणी प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यों जैसे खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है।	पार्ट-1 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 4 भागों दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 4 अलग-2 नक्शों (DGPS), 4 अलग-2 Patchwise CA Scheme GT sheet पर, marked नक्शों संलग्न है। Page No:- from 40 to 52
5	प्रस्तावित क्षेत्र में दिख रही गैर वानिकी कार्यों जैसे खनन आदि पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी स्पष्ट नहीं है।	Previously these Revenue Land were under the control of Revenue Department and affected by mining activities in the past and Government decided to stop the mining activities and transferred to Forest Department and the mining activities are stopped and the proposed area is not having any mining activities as mentioned in Ranger Kaman and Ranger Bharatpur report. Page No:- from 53 to 60
6	उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।	User agency submitted the certificate on land which is free from all encumbrance are the same is mentioned in Ranger Kaman and Ranger Deeg report. This office is also agreed to this. Page No:- from 53 to 60 DCF land suitability certificate Page No:-61
7	प्रस्ताव में प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है। पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को अलग-अलग रंग में मार्क कर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करावें एवं नवीन नक्शा अपलोड प्रस्तुत करावें।	यूजर एजेंसी के अनुसार पुराने खनन पट्टे एवं नवीन खनन पट्टे में सेपटी जोन को अलग अलग रंग में मार्क कर नवीनतम नक्शा अपलोड किया। प्रति संलग्न है। (Annexure-1)
8	परियोजना में Site Specific and Non & Site Specific activities को पृथक-पृथक दिखाया जावें एवं तदनुसार माइनिंग प्लान भी संशोधित करावें।	यूजर एजेंसी के अनुसार वन क्षेत्र का डायवर्जन होने के उपरान्त delineation की कार्यवाही कर E-Auction किया जायेगा। प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में Site Specific and Non Site Specific activities को पृथक से माइनिंग प्लान अनुमोदन कराया जायेगा। Annexure-1 के Mining Plan के Page No- 30 एवं 35 की प्रति संलग्न है।
9	माइनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को not to be utilized किस योजना अनुसार किया जाना है। प्रोग्रेसिव माइनिंग प्लान दिया जाये।	यूजर एजेंसी के अनुसार माइनिंग प्लान में प्रदर्शित 3.3049 हेक्टर वन क्षेत्र को utilized कर संशोधित किया गया। Annexure-1 के माइनिंग प्लान के Page No- 35 की प्रति संलग्न है।
10	30 हेक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रखा गया है तदनुसार KML फाईल प्रस्तुत की जानी है।	यूजर एजेंसी के अनुसार माइनिंग प्लान अनुसार 2.7255 हेक्टर वन क्षेत्र के Green Belt की योजना प्रत्यावर्तित क्षेत्र में प्रस्तावित है। खनन पट्टाधारी द्वारा लीज अवधि में लगभग 11.00 हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा माइनिंग प्लान के Page No- 32 एवं 33 की प्रति संलग्न है।(Annexure-1)

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(रवि कुमार मीणा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक: एफ() FCA/उवसं/2023/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid

Digitally signed by Ravi Kumar Meena
Designation : Deputy Conservator Of
Forest

Date: 2023.06.28 10:52:24 JST
Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSSStore\DigiGOV\Intranet\814162300_308_1033971499240395.docx
RajKaj Ref No. : 4162300

